राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

फोन न: 0141– 2715565 E-mail- smsa.asfe@gmail.com

क्रमांक – समसा/जय/वैशि/2019–20/उजियारी पंचायत/ 3361 दिनांक :– 9/7/19

निदेशक, माध्यमिक/ प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
समस्त जिला कलेक्टर्स।
समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्।
संयुक्त निदेशक, समस्त संभाग।
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिले।
जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा एवं
अति० जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिले।

विषय :– ड्रॉप आउट फ्री उजियारी पंचायत 2019–20 की तिथियों के सम्बन्ध में।
संदर्भ:– परिषद कार्यालय का पत्र क्रमांक– समसा/जय/वैशि/प्रवेशोत्सव/2019–20/592 दिनांक 16.04.2019 के क्रम में।

प्रवेशोत्सव के प्रथम एवं द्वितीय चरण में चिन्हित बालक–बालिकाओं को उनकी आयु अनुसार आंगनबाडी एवं विद्यालयों में प्रवेशित कराया जाकर शालादर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि करवायी जानी अनिवार्य है।

सत्र 2019–20 के लिए ड्रॉप आउट फ्री पंचायत को उजियारी पंचायत की घोषणा हेतु **आवेदन एवं भौतिक सत्यापन तथा घोषणा एवं सम्मान की समयावधि एवं तिथियां निम्नानुसार होगी :–**

1. प्रवेशोत्सव के द्वितीय चरण में बालक–बालिकाओं का चिन्हिकरण एवं शालादर्पण पोर्टल पर अपडेशन – 12 जुलाई 2019 तक
2. उजियारी पंचायत हेतु ग्राम सभा से अनुमोदित आवेदन मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि – 22 जुलाई 2019
3. आवेदित ग्राम पंचायतों की शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन प्रविष्टि की अंतिम तिथि– 25 जुलाई 2019
4. उपखण्ड/ब्लॉक स्तरीय भौतिक जांच – 13 अगस्त 2019 तक
5. जिला स्तरीय भौतिक सत्यापन – 27 अगस्त 2019 तक
6. जिला निष्पादक समिति द्वारा अनुमोदन – 30 अगस्त 2019 तक
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक्सेल में समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर को सूची प्रस्तुतीकरण – 02 सितम्बर 2019 तक
8. उजियारी पंचायत की घोषणा एवं सम्मान – 5 सितम्बर 2019

अतः उजियारी पंचायत की घोषणा हेतु आवेदन एवं घोषणा सम्बन्धित कार्यवाही उपरोक्तानुसार निश्चित समयावधि में किया जाना सुनिश्चित करें।

(प्रदीप कुमार बोरड़)
आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव,
स्कूल शिक्षा, राज.स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर

क्रमांक – समसा/जय/वैशि/2019–20/उजियारी पंचायत/ 3361 दिनांक :– 9/7/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. विशिष्ट सहायक, मा. उप मुख्यमंत्री महोदय एवं मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, मा. शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, मा. राज्य मंत्री महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, भाषा एवं स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, राजस्थान सरकार।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
7. निजी सचिव, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, राजस्थान सरकार।
8. निजी सचिव, निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
9. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
10. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
11. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (II), समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
12. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समितियाँ (समस्त ब्लॉक) राजस्थान।
13. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, पंचायत समितियाँ (समस्त ब्लॉक) राजस्थान।
14. समस्त सीबीईओ/पीईईओ/संस्थाप्रधान।
15. रक्षित प्रति।

9/7/19
अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

फोन नः 0141– 2715565 E-mail- smsa.asfe@gmail.com

क्रमांक – समसा/जय/वैशि/2019–20/उजियारी पंचायत/3360 दिनांक :– 9/7/19

निदेशक, माध्यमिक/ प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
समस्त जिला कलेक्टर्स।
समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्।
संयुक्त निदेशक, समस्त संभाग।
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिले।
जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा एवं
अति0 जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिले।

विषयः– समस्त अनामांकित/ड्रॉप आउट बच्चों को आंगनबाडी केन्द्रों/विद्यालयों में आयु अनुरूप कक्षा में नामांकित कराने वाली पंचायत को ड्रॉप आउट फ्री "उजियारी पंचायत" घोषित किये जाने के संदर्भ में मानदण्ड।

संदर्भः– परिषद कार्यालय का पत्र क्रमांक– समसा/जय/वैशि/प्रवेशोत्सव/2019–20/592 दिनांक 16.04.2019 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से आपको प्रवेशोत्सव संबंधी दिशा–निर्देश जारी किये गये है। प्रवेशोत्सव के प्रथम चरण में सभी पंचायतों के अधिकांश बालक बालिकाओं को चिन्हित कर/सर्वे कर आंगनबाड़ी एवं विद्यालयों से जोड़े जाने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी होगी। प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का द्वितीय चरण 24.06.2019 से 12.07.2019 तक आयोजित किया जाना है। इसमें सभी पंचायतों के समस्त बालक–बालिकाओं चिन्हित कर/सर्वे कर आंगनबाड़ी एवं विद्यालयों से जोड़े जाने की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाना है। प्रवेशोत्सव के दोनों चरण पूर्ण होने के पश्चात अनामांकित/ड्रॉप आउट पंचायत को उजियारी पंचायत घोषित किया जाना है।

ड्रॉप आउट फ्री पंचायत को उजियारी पंचायत घोषित किये जाने के संदर्भ में विस्तृत दिशा–निर्देश/मानदण्ड मय आवश्यक प्रपत्रों के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे है।

आप अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/संस्थाप्रधानों को यह निर्देशित करें कि वे नामांकन वृद्धि, अनामांकित/ड्रॉप आउट बच्चों को आंगनबाडी/विद्यालयों से जोड़ने हेतु कार्ययोजना बनाकर परिणाम आधारित कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि उनकी पंचायत **ड्रॉप आउट फ्री पंचायत " उजियारी पंचायत"** घोषित हो सकें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(प्रदीप कुमार बोरड़)
आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव,
स्कूल शिक्षा, राज.स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर

क्रमांक – समसा/जय/वैशि/2019–20/उजियारी पंचायत/3360 दिनांक :– 9/7/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. विशिष्ट सहायक, मा. उप मुख्यमंत्री महोदय एवं मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, मा. शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, मा. राज्य मंत्री महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, भाषा एवं स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, राजस्थान सरकार।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
7. निजी सचिव, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, राजस्थान सरकार।
8. निजी सचिव, निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
9. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
10. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
11. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (II), समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
12. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समितियाँ (समस्त ब्लॉक) राजस्थान।
13. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, पंचायत समितियाँ (समस्त ब्लॉक) राजस्थान।
14. समस्त सीबीईओ/पीईईओ/संस्थाप्रधान।
15. रक्षित प्रति।

9/7/19

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक

समस्त अनामांकित/ड्रॉप आउट बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्र/विद्यालय में आयु अनुरूप कक्षा में नामांकित कराने पर ड्रॉप आउट फ्री "उजियारी पंचायत" घोषित किये जाने हेतु मानदण्ड 2019-20

1. प्रस्तावना

1.1 हमारा संविधान 14 आयु वर्ग तक के सभी बालक/बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की घोषणा करता है। संविधान में घोषित लक्ष्य की प्राप्ति तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सभी बच्चों को विद्यालयों से जोड़ने एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

1.2 5 से 18 आयु वर्ग के समस्त बालक–बालिकाओं को नामांकित करने के साथ ही उनका विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित किया जाना भी महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा विभाग के साथ साथ ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा अन्य सम्बन्धित विभागों का योगदान भी महत्वपूर्ण है।

1.3 वर्ष 2019–20 हेतु शिक्षा विभाग द्वारा इस सत्र की वार्षिक परीक्षा के समापन के साथ ही नामांकन वृद्धि एवं ठहराव हेतु एक व्यापक अभियान चलाये जाने का निश्चय किया गया है। ऐसी **पूर्ण नामांकन एवं ठहराव के लक्ष्य को प्राप्त करने वाली अनामांकन व ड्रॉप आउट फ्री पंचायतों को "उजियारी पंचायत"** के रूप में चिन्हित कर सम्मानित किया जायेगा।

2. "उजियारी पंचायत" की घोषणा हेतु मापदण्ड –

2.1 3 से 5/6 वर्ष के समस्त बालक–बालिका पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु अपने निवास क्षेत्र की नजदीकी आगंनबाड़ी में नामांकित है।

2.2 5–6 आयु वर्ग के समस्त बालक–बालिका (आगंनबाड़ी में नामांकित/अनामांकित) का चिन्हिकरण किया जाकर उनका नामांकन कक्षा 1 में करवा दिया गया है।

2.3 कक्षा 5/8/10 उत्तीर्ण अथवा इनकी परीक्षा में प्रविष्ट 80 प्रतिशत से अधिक बालक–बालिकाओं का चिन्हिकरण किया जाकर उनका नामांकन क्रमशः कक्षा 6/9/11 में करवा दिया गया है एवं उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले बालक–बालिकाओं का नामांकन अगली कक्षा में करवा दिया गया है।

2.4 यदि कोई विद्यार्थी 45 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए विद्यालय से अनुपस्थित नहीं रहा है और यदि रहा है तो उसे पुनः आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिलाकर शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है।

2.5 हाउस होल्ड सर्वे के दौरान चिन्हित समस्त आउट ऑफ स्कूल (अनामांकित/ड्रापआउट) बच्चों को विशेष शिक्षण करवाया जाकर आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया गया हैं एवं वे कक्षा में प्रवेशित और अध्यनरत है।

2.6 पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) कार्यालय में 0 से 18 वर्ष के पंचायत क्षेत्र के समस्त बालक–बालिकाओं का हाउस होल्डवार सर्वे रिकोर्ड संधारण किया हुआ हो।

2.7 पंचायत को उजियारी पंचायत की घोषणा की प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष की जायेगी।

3. आवेदन एवं सत्यापन प्रक्रिया –

3.1 उजियारी पंचायत घोषणा के लिये आवेदन जुलाई माह में आमंत्रित किये जायेंगे एवं प्राप्त आवेदनों का दो चरणों में क्रमश ब्लॉक एवं जिला स्तर से गठित समिति द्वारा भौतिक सत्यापन किया जायेगा।

3.2 उजियारी पंचायत घोषणा हेतु आवेदन पत्र पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा भरा जावेगा।

3.3 आवेदन पत्र सरपंच, पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ), ग्राम विकास अधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षक (आईसीडीएस) द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जायेगा।

3.4 उजियारी पंचायत की घोषणा हेतु आवेदन प्रस्ताव ग्राम सभा की मासिक बैठक में अनुमोदन कराया जावेगा तत्पश्चात **मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (सीबीईओ)** को दो प्रतियों में प्रेषित किया जाकर एक प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जावेगी।

3.5 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (सीबीईओ) द्वारा आवेदन करने वाली ग्राम पंचायतों की प्रविष्टि शालादर्पण पोर्टल पर की जावेगी। शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन प्रविष्ट की गयी आवेदित ग्राम पंचायतों का ही ब्लॉक स्तरीय भौतिक जांच एवं जिला स्तरीय सत्यापन किया जायेगा। जिन ग्राम पंचायतों की प्रविष्टि अंतिम तिथि तक शालादर्पण पोर्टल पर नहीं की जायेगी, उन ग्राम पंचायतों का आवेदन अमान्य होगा।

3.6 आवेदन के साथ पंचायत के किसी भी ग्राम में 3 से 5/6 वर्ष का कोई भी बच्चा आंगनबाड़ी में नामांकन एवं 5/6 से 18 वर्ष का बच्चा विद्यालय में नामाकन से वंचित नही है। इस आशय का सरपंच, पीईईओ, ग्राम विकास अधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर वाला प्रमाण–पत्र भी संलग्न किया जावेगा। (प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न)

3.6 सीबीईओ कार्यालय को शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन प्रविष्टि की अंतिम तिथि तक समस्त प्राप्त आवेदन पत्रों की ऑनलाईन प्रविष्टि करना अनिवार्य है। प्राप्त आवेदन पत्रों की अंतिम तिथि तक प्रविष्टि नहीं करने की समस्त जिम्मेदारी सीबीईओ की होगी।

3.7 उपखण्ड अधिकारी द्वारा गठित ब्लॉक स्तरीय तीन सदस्यीय समिति द्वारा ब्लॉक स्तर पर प्राप्त समस्त आवेदनों की भौतिक जांच क़ी जायेगी। समितियों का गठन ब्लॉक के आवेदन पत्रों की संख्या अनुसार किया जायेगा। यह समिति निम्नलिखित सदस्यों में से किन्हीं तीन सदस्यों के द्वारा गठित की जावेगी। प्रत्येक समिति में उपखण्ड अधिकारी द्वारा नामित सदस्य होना अनिवार्य है –

1 सीबीईओ/एसीबीईओ
2 आवेदित पंचायत से भिन्न पंचायत का पीईईओ
3 आवेदित पंचायत से भिन्न पंचायत का व्याख्याता
4 उपखण्ड अधिकारी द्वारा नामित सदस्य

3.8 ब्लॉक स्तरीय भौतिक जांच दल जांच की तिथि के संबंध में सम्बन्धित पीईईओ को पूर्व सूचना देगा।

3.9 पीईईओ द्वारा ग्राम पंचायत के सरपंच, वार्ड पंच एवं महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी को जाँच तिथि की सूचना दी जायेगी। सभी संबंधित व्यक्ति जाँच के समय उपस्थित रहेंगे।

3.10 पंचायत से प्राप्त आवेदन पर भौतिक जांच दल पंचायत के कम से कम 25 प्रतिशत या न्यूनतम 4 विद्यालय एवं 4 आंगनबाड़ी जो भी अधिक हो में उपलब्ध सर्वे रिकॉर्ड का सत्यापन भौतिक स्थिति से करेगा। ।

3.11 आवेदनों के भौतिक जांच के दौरान सम्बन्धित पंचायत के पीईईओ कार्यालय में उपलब्ध हाउस होल्ड सर्वे रिकोर्ड में से रैण्डमली 5 प्रतिशत सर्वे प्रपत्र लिये जाकर सम्बन्धित घरों में बालक–बालिकाओं की वस्तु स्थिति (हैड काउंटिंग) का मिलान आंगनबाड़ी एवं विद्यालय (सरकारी एवं निजी) के रिकॉर्ड से किया जायेगा।

3.12 भौतिक जांच के दौरान सर्वे में हाउस होल्ड के साथ–साथ अन्य बसावट जैसे गाँव के आस–पास गाड़िया लुहार, ईट भट्टा, बस स्टैण्ड, गाँव से दूर ढाणी, पूरबा, मजरा आदि को भी सम्मिलित जाकर भौतिक सत्यापन किया जावें।

3.13 ब्लॉक स्तरीय भौतिक जांच समिति अपनी रिपोर्ट में ग्राम पंचायत को उजियारी घोषित किये जाने अथवा नहीं किये जाने की अभिशंषा निर्धारित जांच प्रपत्र में स्पष्ट रूप से अंकित करेगी।

3.14 ब्लॉक स्तरीय जाँच दल मौके पर पहुँच कर प्रत्येक ग्राम पंचायत की निर्धारित जाँच प्रपत्र (ब्लॉक स्तरीय भौतिक जाँच एवं जिला स्तरीय सत्यापन प्रपत्र) में जांच करेगा। भौतिक जाँच रिपोर्ट तीन प्रतियों में तैयार की जावेगी। जाँच रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित पीईईओ कार्यालय को दी जावेगी। जांच रिपोर्ट की दूसरी प्रति मूल आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर (प्रमाणिक रिपोर्ट) एवं जाँच रिपोर्ट की तीसरी प्रति आवेदन पत्र की फोटोप्रति के साथ संलग्न कर सीबीईओ कार्यालय को प्रेषित की जावेगी।

3.15 सीबीईओ द्वारा समस्त आवेदित ग्राम पंचायतों की प्रमाणिक जांच रिपोर्ट (जाँच रिपोर्ट मय मूल आवेदन पत्र) मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जायेगी। समस्त आवेदित ग्राम पंचायतों की जांच रिपोर्ट का दूसरा सेट उपखण्ड अधिकारी को भिजवाया जावेगा।

3.16 उपखण्ड अधिकारी द्वारा समस्त जांच रिपोर्ट का सेट जिला कलेक्टर को प्रेषित किया जायेगा।

3.17 जिला कलेक्टर द्वारा ब्लॉकवार तीन सदस्यीय जिला स्तरीय सत्यापन समितियों का गठन किया जायेगा। समितियों का गठन ब्लॉक के आवेदन पत्रों की संख्या अनुसार किया जायेगा। यह समिति निम्नलिखित सदस्यों में से किन्हीं तीन सदस्यों के द्वारा गठित की जावेगी। प्रत्येक समिति में जिला कलेक्टर द्वारा नामित सदस्य होना अनिवार्य हैं –

1. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक / अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक / जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा) /
2. आवेदित ग्राम पंचायत के ब्लॉक से भिन्न ब्लॉक का पीईईओ
3. आवेदित ग्राम पंचायत से भिन्न पंचायत समिति का पीईईओ
4. जिला कलेक्टर द्वारा नामित सदस्य

3.18 जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रत्येक आवेदित ग्राम पंचायत की ब्लॉक स्तरीय समिति द्वारा दी गयी जांच रिपोर्ट की मौके पर पूर्ण जांच की जायेगी तथा पंचायत के 25 प्रतिशत विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी अथवा न्यूनतम 2 विद्यालय एवं 2 आंगनबाड़ी (जो भी अधिक हो) में उपलब्ध रिकॉर्ड का भौतिक स्थिति से मिलान करते हुये ब्लॉक स्तरीय समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट का सत्यापन किया जायेगा एवं ग्राम पंचायत को उजियारी घोषित किये जाने अथवा नहीं किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा निर्धारित जांच प्रपत्र में अंकित की जावेगी।

3.19 जिला स्तरीय सत्यापन समिति द्वारा की गई अभिशंषा अनुसार ग्राम पंचायत को उजियारी पंचायत घोषित किया जाना प्रस्तावित किया जावेगा।

3.20 जिला कलेक्टर द्वारा गठित ब्लॉकवार जिला स्तरीय सत्यापन समितियाँ भौतिक जांच पश्चात अभिशंषा रिपोर्ट मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करेंगी।

3.21 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त रिपोर्ट को जिला निष्पादक समिति की बैठक में अनुमोदन हेतु रखा जावेगा।

3.22 जिला निष्पादक समिति की बैठक में भौतिक सत्यापन रिपोर्ट पर चर्चा एवं अनुमोदन पश्चात मानदण्डानुसार सम्बन्धित पंचायत को उजियारी पंचायत घोषित करने हेतु अनुमोदन किया जावेगा।

4. उजियारी पंचायत की घोषणा

4.1 आवेदित, सत्यापित एवं जिला निष्पादक समिति में अनुमोदित पंचायत को **"उजियारी पंचायत"** घोषित किया जायेगा एवं घोषणा प्रमाण पत्र शिक्षक दिवस पर 5 सितम्बर को आयोजित जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में प्रदान किया जावेगा।

4.2 चयनित उजियारी ग्राम पंचायत के पीईईओ एवं सरपंच को सम्मिलित रूप से उजियारी पंचायत का प्रमाण–पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किया जावेगा।

4.3 जिले में उजियारी पंचायत के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन कार्मिकों को जिला कलेक्टर महोदय द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किया जावेगा।

4.4 उजियारी पंचायत घोषणा पश्चात पंचायत के पंचायत भवन एवं पंचायत के सभी विद्यालयों पर **"अनामांकित/ड्राप आउट फ्री उजियारी पंचायत"** लिखवाया जावे।

4.5 राज्य सरकार की विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में उजियारी पंचायत को प्राथमिकता दी जावेगी।

(प्रदीप कुमार बोरड़)
आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव,
स्कूल शिक्षा, राज.स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर

हाउस होल्ड सर्वे प्रपत्र–1

विद्यालय से बाहर (OoSC) बच्चों की सूचना

ग्रामीण क्षेत्र पीईईओ कार्यालय का नामः– ....
शहरी क्षेत्र बीईईओ कार्यालय का नामः-- ....

ग्राम/ वार्ड का नामः– ....

सर्वे दिनांकः– ....

विद्यालय का नाम जिसे उस ग्राम/ वार्ड का जिम्मेदारी दी गई है :– ....

क.सं.	ग्राम पंचायत	गॉव/ वार्ड	हैबिटेशन/ वासस्थान	नाम बालक/ बालिका	पिता का नाम	उम्र	लिंग	श्रेणी SC/ST/ OBC/ Minority	शैक्षिक स्थिति		ड्रॉप आउट कक्षा	OoSC होने के कारण			
									अनामांकित	ड्रॉपआउट		दिव्यांगता	पलायन	आर्थिक	अन्य
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

भरे हुए प्रपत्र **PEEO/BEEO** को जमा कराने की दिनांकः–...........

हस्ताक्षर

सर्वे प्रपत्र भरने वाले शिक्षक/शाला प्रधान का नामः– ....

मोबाईल नम्बरः– ....

विद्यालय का नामः– ....

आवेदन पत्र सत्र 2019-20

उजियारी पंचायत

(अनामांकित/ड्रापआउट फ्री ग्राम पंचायत के लिए)

ग्राम पंचायत .... ब्लॉक .... जिला ....

0 से 18 वर्ष के समस्त बालकों-बालिकाओं का सर्वे किया जाकर 3 से 18 वर्ष के समस्त अनामांकित एवं ड्राप आउट बालकों-बालिकाओं को आयु अनुसार आंगनबाड़ी/विद्यालय में प्रवेशित किया जा चुका है। ग्राम पंचायत में 3-18 वर्ष के समस्त बालक-बालिका आयु अनुसार आंगनबाड़ी/विद्यालय में नामांकित एवं अध्ययनरत हैं एवं कोई बालक/बालिका ड्राप आउट अथवा अनामांकित नहीं है।

ग्राम पंचायत .... को उजियारी ग्राम पंचायत घोषित करने के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत है।

महिला पर्यवेक्षक	ग्राम विकास अधिकारी	पीईईओ	सरंपच
नाम	नाम......................	नाम	नाम.............
		विद्यालय का नाम................	

ड्रॉप आउट फ्री "उजियारी पंचायत" की घोषणा सत्र 2019-20

(यह प्रपत्र पंचायत द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जावे)

मैं...सरपंच ग्राम पंचायत................................., मैं .... पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, ग्राम पंचायत..... .... मैं .... ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत.. मै .... महिला पर्यवेक्षक (ICDS) ग्राम पंचायत... हम संयुक्त रूप से घोषणा करते है कि हमारी ग्राम पंचायत.. ब्लॉक...............................जिला......................................में 0 से 18 वर्ष के समस्त बालक-बालिकायें अपनी आयु के अनुरूप आंगनबाड़ी/विद्यालय में नामांकित एवं अध्यनरत है और कोई भी बालक-बालिका ड्राप आउट अथवा अनामांकित नहीं है तथा पंचायत में 0 से 18 वर्ष तक के कुल बच्चों की संख्या निम्नानुसार है -

0 से 3 वर्ष	3 से 6 वर्ष	6 से 14 वर्ष	14 से 18 वर्ष	कुल बच्चों की संख्या

महिला पर्यवेक्षक ग्राम विकास अधिकारी पीईईओ सरपंच

नाम .... नाम................................ नाम............................ नाम ....

विद्यालय का नाम

....

५

ब्लॉक स्तरीय भौतिक जाँच एवं जिला स्तरीय सत्यापन प्रपत्र 2019–20 (पृष्ठ 1 से 3)

उजियारी पंचायत

दिनांक..................

(आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर इस प्रपत्र में ब्लॉक एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा जाँच/सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जावे)

ग्राम पंचायत.................... ब्लॉक................. जिला.....................

1. क्या भौतिक सत्यापन से पूर्व ग्राम पंचायत के पीईईओ को सूचित किया गया है। हाँ/नही
2. क्या पीईईओ द्वारा सरपंच को सूचित किया गया। हाँ/नही
3. भौतिक सत्यापन के समय उपस्थित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि (☑ या ☒ का निशान लगाऐं)
4. पीईईओ ☐ सरपंच ☐ वार्डपंच ☐ महिला पर्यवेक्षक आंगनबाडी ☐
5. क्या पीईईओ कार्यालय में 0 से 18 आयुवर्ग के बच्चों के हाउस होल्ड सर्वे का रिकोर्ड रजिस्टर संधारित है। हाँ/नही
6. यदि हाँ तो, प्रपत्र 1 एवं प्रपत्र 2 की पूर्ति करें।

<u>भौतिक जाँच/सत्यापन प्रपत्र–1</u>

ब्लॉक स्तरीय समिति द्वारा भौतिक जाँच हेतु (25 प्रतिशत विद्यालय एवं आंगनबाडी या 4 विद्यालय एवं 4 आंगनबाडी में से जो भी अधिक हो, की भौतिक जाँच करें)							जिला स्तरीय समिति द्वारा भौतिक सत्यापन हेतु
1	2	3	4	5	6	7	8
क्र.सं.	ग्राम पंचायत में संचालित शैक्षिक संस्थाऐं	कुल शैक्षिक संस्थाऐं	शैक्षिक संस्थाओ की संख्या जिसमें भौतिक जाँच की गई	शैक्षिक संस्थाओ का नाम	हाउस होल्ड सर्वे रिकोर्ड अनुसार नामाकिंत (मेनस्ट्रीम) Oosc बच्चे	भौतिक जाँच अनुसार नामाकिंत (मेनस्ट्रीम) Oosc बच्चे	जिला स्तरीय सत्यापन हेतु भौतिक जाँच कर कॉलम संख्या 2 से 7 को प्रमाणित /अप्रमाणित करें
1	राजकीय विद्यालय						

ब्लॉक स्तरीय समिति द्वारा भौतिक जाँच हेतु (25 प्रतिशत विद्यालय एवं आंगनबाडी या 4 विद्यालय एवं 4 आंगनबाडी में से जो भी अधिक हो, की भौतिक जाँच करें)							जिला स्तरीय समिति द्वारा भौतिक सत्यापन हेतु
1	2	3	4	5	6	7	8
क्र.सं.	ग्राम पंचायत में संचालित शैक्षिक संस्थाऐं	कुल शैक्षिक संस्थाऐं	शैक्षिक संस्थाओ की संख्या जिसमें भौतिक जाँच की गई	शैक्षिक संस्थाओ का नाम	हाउस होल्ड सर्वे रिकोर्ड अनुसार नामांकित (मेनस्ट्रीम) Oosc बच्चे	भौतिक जाँच अनुसार नामांकित (मेनस्ट्रीम) Oosc बच्चे	जिला स्तरीय सत्यापन हेतु भौतिक जाँच कर कॉलम संख्या 2 से 7 को प्रमाणित /अप्रमाणित करें
2	निजी विद्यालय						
3	आंगनबाडी						

भौतिक जाँच/सत्यापन प्रपत्र–2 (रेण्डमली 5 प्रतिशत सर्वे प्रपत्रों की जाँच कर भरें)

ब्लॉक स्तरीय भौतिक जाँच हेतु								जिला स्तरीय भौतिक जाँच हेतु
1	2	3	4	5	6			7
क्र.सं.	ग्राम/वार्ड नं.	सर्वे प्रपत्र अनुसार मुखिया का नाम	0 से 18 वर्ष के कुल बच्चे	3 से 18 वर्ष के कुल बच्चे	3 से 18 वर्ष के बच्चों की आंगनबाड़ी/विद्यालय में नामांकन की स्थिति			जिला स्तरीय सत्यापन हेतु भौतिक जाँच कर कॉलम संख्या 2 से 6 को प्रमाणित /अप्रमाणित करें
					विद्यालय में नामांकित	आंगनबाड़ी में नामांकित	अनामांकित	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत में गाँवों के आसपास गाड़िया लुहार, ईंट भट्टा, बस स्टेण्ड, गाँव से दूर ढाणी, पुरवा, मजरा, आदि को भी सम्मिलित कर भौतिक जाँच की गई। ग्राम पंचायत में 3 से 18 वर्ष के समस्त बालक–बालिका अपनी आयुअनुरूप आंगनबाड़ी/विद्यालय में नामांकित एवं अध्ययनरत है/नही है।

ब्लॉक स्तरीय समिति की जाँच रिपोर्ट...

1 हस्ताक्षर एवं नाम /पद   2 हस्ताक्षर एवं नाम /पद   3 हस्ताक्षर एवं नाम /पद

जिला स्तरीय समिति की सत्यापन रिपोर्ट...

1 हस्ताक्षर एवं नाम /पद   2 हस्ताक्षर एवं नाम /पद   3 हस्ताक्षर एवं नाम /पद

प्रमाण–पत्र

उजियारी पंचायत 2019–20

<u>अनामांकित/ड्रॉप आउट फ्री ग्राम पंचायत</u>

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत .... में कोई भी बालक–बालिका जो 3 से 18 वर्ष की उम्र का है शिक्षा से वंचित नहीं है। और न ही कोई बालक–बालिका अनामांकित/ड्रॉप आउट है।

पंचायत से प्राप्त घोषणा पत्र एवं जाँच समितियों की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पंचायत................................. ब्लॉक....................... ....जिला.. को शैक्षिक सत्र ....के लिये अनामांकित/ड्रॉप आउट फ्री पंचायत "उजियारी पंचायत" घोषित किया जाता है।

यह प्रमाण पत्र आज दिनांक...................................को जारी किया जाता है।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

जिला..

प्रमाण–पत्र

उजियारी पंचायत

उत्कृष्ट कार्मिक सम्मान 2019–20

प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... पद .... पदस्थापनस्थान .... द्वारा शैक्षिक सत्र .... में अनामांकित/ ड्रॉप आउट फ्री पंचायत "उजियारी पंचायत योजना" अन्तर्गत जिला स्तर पर उत्कृष्ट कार्य किया गया। इन्हें "उत्कृष्ट कार्मिक सम्मान" से सम्मानित किया जाता है।

यह प्रमाण–पत्र आज दिनांक .... को जारी किया गया जाता है।

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

जिला ....